Phase-IV [APPLICATION FORM]

To

The Regional Transport Authority,

Subject: Application for grant of Stage Carriage Permit under Phase-IV of the Stage Carriage Scheme-2013.

In terms of para 4 of the Stage Carriage Scheme, 2013 published vide Haryana Government, Transport Department Notification No.17/10/2011-3T(II) dated 12.8.2013, the undersigned hereby submits the application for grant of permit as per details below:-

1.	Details of the applicant in case of an individual (attested copy of Haryana Domicile Certificate to be attached):-	al montant sun ou overer
	a) Name of the applicant	Harris and more part
	b) Father/Husband's Name	Jan etell victor vv. (**
	c) Address	W.V. Foreby state, that
	d) Telephone/Mobile Number	agoline no vipidunas pri julia
2.	Details of the applicant in case of Society,Firm or Company registered in Haryana:- a) Name and address of Society/Firm/Company	of recommodularities of 100 miles in care and 100 miles
	b) Registration No. and Date of registration	and
	c) Name of Registering Authority	
	d) Name of the person authorized to sign the application (attested copy of resolution of Society/Firm/Company to be attached)	theisG
3.	Details of the applicant in case of Local Bodies of Haryana:- a) Name of the Local Body	
	b) Name of the person authorized to sign the application (authority letter to be attached)	25.2

P.T.O.

4.	Particulars of Stage Carriag	e Permit applied for:-				
	i) Name of Districtii) Serial Number of the r	route (as mentioned in				
	the Schedule of the Sch					
	iii) Name of route (full deta	ails as mentioned in the				
	Schedule of the Schem iv) Type of route(Rural/Urb					
5.		f Rs.2000.00) are as under:-				
		DateName of Bank				
6.	Carriage Scheme, 2013 a more than one application	d nor will apply for grant of permit under the approved Stage anywhere in the State except the present application. In case ons are found to have been made, I/We understand and ur application shall stand rejected out rightly. **				
	ii)I/We do not hold any sta individual capacity or in th	age carriage permit under any scheme of the government in the capacity of a member of Cooperative Transport Society.				
	iii)I/We hereby undertake to abide by all the conditions of the permit as prescribed by Regional Transport Authority, from time to time.					
	iv) I/We hereby state that th	ne above statements are true.				
	v)I/WE hereby state that in case any statement or information or fact or document furnished above by me/us is found to be wrong or false or incomplete or concealed during scrutiny or subsequently after grant of permit, my/our application shall be liable to be rejected summarily by the Regional Transport Authority and I/we shall be liable for prosecution under the relevant Law/s for the said act(s).					
** (* 6(i) is not applicable in case of Local Bodies of Haryana.					
Da	ted:	Signature of Applicant				
		(Name of the Applicant)				
		(a) the a of the Local Burdy				
	ACKNOWLEDGEMENT					
Received an application from Sh./Smt		Sh./Smt. , reside				
		for allotmen				
	rmit in Phase-IV under the St	tage Carriage Scheme, 2013. The application has been enter				
Sr	No of the register.					
		Dealing Hand				

चरण-IV [आवेदन पत्र]

सेवा में

क्षेत्रीय	परिवहन	प्राधिकरण,	

विषय :- स्टेज कैरिज स्कीम, 2013 के चरण-10 के तहत परिमट प्रदान करने हेतू आवेदन पत्र।

हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 17/10/2011—3т(II) दिनांक 12.08.2013 के तहत प्रकाशित स्टेज कैरिज स्कीम, 2013 के पैरा 4 के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी निम्न विवरणानुसार परिमट प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है:—

17		
1.	एकल व्यक्ति के मामले में आवेदक का विवरण (हरियाणा निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें):	
	क) आवेदक का नाम	the report of the and society for the
	ख) पिता/पति का नाम	or de la company
	ग) पता	Sign of the state
10-	घ) दूरभाष / मोबाईल नम्बर	
2.	हरियाणा में पंजीकृत समिति, फर्म अथवा कंपनी के मामले में आवेदक का विवरण :	ence that is seen elighte by any of animals
	क) समिति / फर्म / कंपनी का नाम व पता	
	ख) पंजीकरण नम्बर व पंजीकरण की तिथि	तथा
	ग) पंजीकरण ॲथोरिटी का नाम	
	घ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम (समिति/फर्म/कंपनी के प्रस्ताव की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
3.	हरियाणा के स्थानीय निकाय के मामले में आवेदक का विवरण:—	
	क) स्थानीय निकाय का नाम	
	ख) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम (अधिकृत पत्र संलग्न करें)	

कृप्या पेज पलटें

	आवेदित स्टेज कैरिज परमिट का विवरण:
4.	і) जिले का नाम
	ii) मार्ग संख्या (स्कीम की अनुसूची के अनुसार)
	ііі) मार्ग का नाम (स्कीम की अनुसूची के अनुसार पूर्ण
	विवरण)
	iv) मार्ग का प्रकार (ग्रामीण / शहरी / अन्य)
5.	आवेदन शुल्क का विवरण (₹ 2000.00) निम्न अनुसार है:-
	डिमांड ड्राफट सं० दिनांक बैंक का नाम
	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
6.	i) मैंने / हमने अनुमोदित स्टेज कैरिज स्कीम, 2013 में वर्तमान आवेदन पत्र के अतिरिक्त राज्य में ओर कहीं से भी परिमट प्रदान करने के लिए ना ही आवेदन दिया है तथा ना ही आवेदन करूंगा / करेंगे। मैं / हम समझता हूं / समझते हैं तथा ब्यान करता हूं / करते हैं कि एक से अधिक आवेदन पत्र पाए जाने के मामले में मेरे / हमारे सभी आवेदन पत्रों को सीधे खारिज कर दिया जाएगा। **
	ii) मैं / हम एकल व्यक्ति की हैसियत से अथवा किसी भी सहकारी परिवहन समिति के सदस्य की हैसियत से सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी स्टेज कैरिज स्कीम के तहत परिमट धारक नहीं हूँ / हैं।
	iii)मैं / हम एतद् द्वारा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर निर्धारित परिमट की शर्तों का पालन करने के लिए अपनी सहमित देता हूं / देते हैं।
	v) मैं / हम एतद् द्वारा ब्यान करता हूं / करते हैं कि उपरोक्त सभी विवरण सत्य हैं।
	iv)मैं / हम ब्यान करता हूं / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा ऊपर दिए गए किसी विवरण या सूचना या तथ्य या दस्तावेज़ छानबीन के समय या परिमट प्रदान करने के बाद गलत या झूठा या अधूरा या दस्तावेज़ में कुछ छुपाया पाया गया तो मेरे / हमारे आवेदन को रदद करने का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को अधिकार होगा
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे।
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है।
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे।
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। जिल्लामा अवेदक के हस्ताक्षर
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। जिल्लामा अवेदक के हस्ताक्षर
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। जिल्लामा अवेदक के हस्ताक्षर
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। जिल्लामा अवेदक के हस्ताक्षर
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। जिल्लामा अवेदक के हस्ताक्षर
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। जिल्लामा अवेदक के हस्ताक्षर
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। जिल्लामा अवेदक के हस्ताक्षर
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। जिल्लामा अवेदक के हस्ताक्षर
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। जिल्लामा अवेदक के हस्ताक्षर
	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। जिल्लामा अवेदक के हस्ताक्षर
देनां	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। अावेदक के हस्ताक्षर
दे नां स्टेज	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। अावेदक के हस्ताक्षर
दे नां स्टेज	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। *** *** *** ** ** ** ** ** *
दे नां स्टेज	और मैं / हम संबंधित कानून के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी हूंगा / होंगे। i) हरियाणा राज्य के स्थानीय निकायों के मामले में लागू नहीं है। *** *** *** *** ** ** ** **